

107 ह० प्र० स०

समाप्त

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी,

पंचानन राजक
बधाम

आदेश पत्रक

विरुद्ध ठाकुर

M-110 / 2017

प्र० वि० पदा० अडका के पत्रक - 1193 दि० 24/11/17 द्वारा धारा-107

1/12/17

अभिलेख संख्या :- एम. 110 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी अडका के अग्रवर्तिका संख्या आवेदन धारा

हथप्रभारी कार्यवाही प्रारम्भ की गई

4/4
4/12/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभ्रमना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० स० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 15-12-17 को उपस्थापित करें।

01/12/17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

14/6/18

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
19/6/18 को रकें

19/6/18

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
26/6/18 को रकें

26/6/18

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
03/07/18 को रकें

03/07/18

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
26/9/18 को रकें

26/9/18

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
5/11/19 को रकें

5/11/19

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
2/3/19 को रकें

2/3/19

उमज पक्ष अनुपाधिक दिनांक
2/3/19 को रकें

(R)
2.3.19